संख्या- 14 /1459 ई-2/तेरह-2014-51/2005

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 सितम्बर,2014

विषय:- मेसर्स वेव डिस्टीलरी एण्ड ब्रिवरीज लि0, अहमदपुरा, अतरौली जनपद अलीगढ़ को अनुमन्य की गई पेय क्षमता उपभोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-45/दो-प्रा0डी0 91ए, दिनांक 28-7-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें राजस्वहित के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 08-6-2010 की वैधता अवधि बढ़ाना उचित बताते हुये शासनादेश संख्या-1274 ई-2/तेरह-2010-51/2005टीसी दिनांक 08-6-2010 द्वारा दी गई अनुमति को आगामी 04 वर्षों हेतु बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के आलोक में प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स वेव डिस्टीलरी एण्ड ब्रिवरीज लि0, अहमदपुर, अतरौली, जनपद अलीगढ़ को राजस्वहित में 04 वर्षों के लिये स्वीकृत पेय क्षमता 360 लाख लीटर वार्षिक हेतु आसवनी की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 270 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत उत्पादित स्प्रिट के अतिरिक्त शेष सुरासव को बाहर से क्रय कर पेय मदिरा उत्पादन हेतु शासनादेश संख्या-1274 ई-2/तेरह-2010-51/2005टीसी दिनांक 08-6-2010 द्वारा दी गई अनुमति को आगामी 04 वर्षों के लिये बढ़ाये जाने हेतु शासन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह0/-

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in